3411

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.06.2018 | वकुलाय उपस्थित।<br>पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 12.03.2015 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा यह जाहिर किया कि अपीलाण्ट फौत हो चुका है। इसके पश्चात अपीलाण्ट के का0मु0 की ओर से पक्षकार बनने हेतु न तो कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही कोई चाराजोही की है। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान दर्शित है, उसके अनुसार आदेश 22 नियम 3 के अनुसार (1) जहां दो या अधिक वादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी वादी को या अकेले उत्तरजीवी वादियों को बेचा नही रहता है या एकमात्र वादी या एकमात्र उत्तरजीवी वादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहॉ इस निमित्त आवेदन किए जाने पर न्यायालय मृत वादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा। (2) जहां विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहॉ वाद का उपशमन वहॉ तक हो जाएगा, जहॉ तक मृत वादी का संबंध है और प्रतिवादी के आवेदन पर न्यायालय उन खर्चो को उनके पक्ष में अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो उसने वाद की प्रतिरक्षा में उपगत किए हों और वे मृत वादी की सम्पदा से वसूल किऐ जाएंगे। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट फौत होने के पश्चात उसके वारिशान द्वारा बतौर अपीलाण्ट पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 (2) के तहत अपील को एबेट किया जाना ही न्यायोचित है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश 22 नियम 3 (2) सी0पी0सी0 के तहत एबेट होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद पालना फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>**राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली** | |